



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय:- जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी दृगपाल पुत्र श्री शिवराज, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी दृगपाल पुत्र श्री शिवराज, जो ग्राम-अद्वनपुर (कोहार का पुरवा), थाना-भीटी, जनपद-अम्बेडकरनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 13.07.2022 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फांसी लगाकर अपनी बहू की हत्या कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 158/2022, भा०द०वि० की धारा 498ए, 304बी व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, अम्बेडकरनगर के दण्डादेश दिनांक 25.06.2025 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 05 माह 10 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 05 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा हत्या जैसा अपराध एक जघन्य अपराध है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी दृगपाल पुत्र श्री शिवराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 04.09.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 05 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 05 माह, 22 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा समयपूर्व

रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी दृगपाल (बन्दी संख्या-1165/2025) पुत्र श्री शिवराज, निवासी जनपद- अम्बेडकरनगर की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1092/2026/681(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- 3- अधीक्षक, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।